# <u>न्यायालय: – श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैतूल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 246 / 12</u> संस्थापन दिनांक :- 11 / 06 / 12 फाईलिंग नं. 233504000332012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

### वि रू द्ध

शेख रसीद पिता शेख नूर, उम्र 32 वर्ष निवासी इंद्रा कॉलोनी आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

## <u>-: ( नि र्ण य ) :-</u>

## (आज दिनांक 23.01.2018 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 08. 06.2012 को समय शाम करीब 05:00 बस स्टेंड आमला के पास सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञा पत्र के अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई चौड़ाई की धारदार छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में रखा।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 08.06. 2012 को थाना प्रभारी आर.के. दुबे को मुखबिर से सूचना मिली कि बस स्टेंड आमला में अभियुक्त अपने हाथ में एक लोहे की धारदार छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। जिस पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा जहां अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा। अभियुक्त ने छुरी रखने बाबत कोई लायसेंस नहीं बताया जिस पर उसने मौके पर अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क. 221/12 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

#### 4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.06.2012 को समय शाम करीब 05:00 बस स्टेंड आमला के पास सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञा पत्र के अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई चौड़ाई की धारदार छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में रखा ?"

### ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 5 आर.के. दुबे (अ.सा.—3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 08.06. 2012 को थाना आमला में टी.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ के बस स्टेंड आमला पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लिए लोगों को डराते धमकाते मिला जिस पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क. 221/12 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—3) लेख की थी।
- 6 साक्षी कुवेरसिंह (अ.सा.—1) एवं जाकिर खान (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 08.06.2012 को थाना आमला में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को थाना प्रभारी को सूचना मिलने पर वे थाना प्रभारी के साथ बस स्टेंड आमला गये थे जहां मौके पर अभियुक्त लोहे की छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा था। उक्त साक्षीगण ने यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा गया था और उसके कब्जे से लोहे की छुरी जप्त की गयी थी।
- 7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी विजय एवं कमलेश के अदम पता हो जाने के कारण उक्त साक्षीगण की साक्ष्य न्यायालय में अंकित नहीं की जा सकी है। अभिलेख पर कुवेरसिंह (अ.सा.—1), जाकिर खान (अ.सा.—2) एवं आर.के दुबे (अ.सा.—3) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की साक्ष्य के

आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

आर.के. दुबे (अ.सा.–3) ने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने पर मौके पर जाना, अभियुक्त से छूरी जप्त कर उसकी गिरफ्तारी उपरांत थाना आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। जाकिर खान (अ.सा.-2) ने थाना प्रभारी के साथ मौके पर जाना तथा अभियुक्त के द्वारा मौके पर लोहे की छुरी हाथ में लेकर लोगों को डराया धमकाया जाना बताया है। आर.के. दुबे (अ. सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा तब मौके पर अभियुक्त के अलावा कोई नहीं था। साक्षी कमलेश और विजय घटना स्थल पर ही मिले थे। जप्ती पत्रक में जप्तशुदा छुरी की नाप किस चीज से की गयी इसका उल्लेख नहीं किया गया है और न ही रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत किया गया है। जाकिर (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त को ध ाटना स्थल से पकडा और सीधे थाना लेकर आ गये थे तथा गवाहों को मौके से बुलवाया गया था। प्रकरण में पुलिस साक्षी आर.के. दुबे एवं जाकिर खान के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। जप्ती पत्रक एवं गिरफ़तारी पत्रक में अपराध कमांक लेख है तथा जप्ती पत्रक में जप्ती का समय 17 बजे एवं गिरफतारी पत्रक में गिरफ़तारी का समय 17:10 बजे लेख है। मात्र 10 मिनट में अभियुक्त से छुरी जप्त करना, उसे मौके पर सीलबंद करना, प्रपत्र तैयार करना असंभव नहीं लेकिन अस्वाभाविक अवश्य प्रतीत होता है। साथ ही जप्ती एवं गिरफतारी प्रपत्रों में अपराध क्रमांक लेख होने से इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के उपरांत तैयार किये गये होंगे। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा भी प्रस्तूत नहीं किया गया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है जिससे निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कथित आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था।

9 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 08.06.2012 को समय शाम करीब 05:00 बस स्टेंड आमला के पास सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञा पत्र के अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई चौड़ाई की धारदार छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में रखा। अतः अभियुक्त शेख रसीद को धारा 25(1—बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

- 11 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 12 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)